

न्यायालय
श्रमायुक्त, बिहार-सह-अपीलीय प्राधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के
अन्तर्गत
प्रथम अपील वाद संख्या-19/2018
राजीव रंजन
बनाम
अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी (श्रम पक्ष)

आदेश की तिथि-29.05.2018

01/06/2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (i) के अन्तर्गत दिनांक-09.04.2018 को राजीव रंजन द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उप धारा-1 के अन्तर्गत दिनांक-06.02.2018 को प्रपत्र- 'क' में मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के विरुद्ध किया गया है, जिसे वाद सं०-19/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। दिनांक-29.05.2018 को अपीलकर्ता की उपस्थिति में सुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रपत्र 'क' के माध्यम से मांगी गई सूचना अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी (श्रम पक्ष) के पत्रांक-1597 दिनांक-05.04.2018 द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त है।

अतः वाद को इस आशय के साथ समाप्त किया जाता है।

ज्ञापांक:-1/सू० अ०-14/2018 श्र०सं०... 3687 पटना, दिनांक- 01-6-18
स्पीड पोस्ट प्रतिलिपि:- श्री राजीव रंजन, समाज आयोजक, सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/06/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

01/06/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-1/सू० अ०-14/2018 श्र०सं०... 3687 पटना, दिनांक- 01-6-18
प्रतिलिपि:- आईटीमैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/06/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।